<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 1521

01 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

सी. एस. आर. कोष

1521. श्री अशोक कुमार रावतः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी नियंत्रणाधीन उपक्रमों ने गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत निधियों की कोई राशि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान देश के विभिन्न भागों में व्यय की गई निधियों की राशि का ब्यौरा क्या है और इससे स्थान-वार, उपक्रम-वार, मद-वार और कार्य-वार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीएसआर के अंतर्गत निधियाँ विशेष रूप से पिछड़े और अनुसूचित जातियों के बहुलता वाले क्षेत्रों में व्यय की गई हैं, कुछ प्रभावी कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या देश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को शामिल किया गया है अथवा इसके अंतर्गत शामिल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): जी हाँ। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, इस्पात मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) गत तीन वित्त वर्षों के दौरान प्राप्त औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के लिए निर्धारित रखते हैं। पिछले वर्ष का अव्ययित शेष, यदि कोई हो, तो उसे अगले वर्ष उस उद्देश्य के उपयोग के लिए आगे ले जाया जाता है जिसके लिए वह आवंटित किया गया था।

(ख): गत तीन वर्षों के दौरान इस्पात मंत्रालय के अधीन सीपीएसई द्वारा सीएसआर गतिविधियों के लिए खर्च की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रुपये में)

सीपीएसई का नाम	2016-17	2017-18	2018-19
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	2905	2570	3118
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)	853	960	1030
एनएमडीसी लि.	17418	16937	16724
मॉयल लि.	1143	962	929
एमएसटीसी लि.	80	215	200
मेकॉन लि.	67	49	17
केआईओसीएल लि.	38	16	33

सीएसआर गतिविधियों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों के जरिए सतत् आय अर्जन, दिव्यांगों को सहायता, जल एवं स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ग्रामीण विकास, पर्यावरण अवलंबन, स्पोर्ट्स कोचिंग, परंपरागत कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देना इत्यादि शामिल हैं। सीएसआर परियोजनाएं छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्रप्रदेश, बिहार, ओडिशा आदि राज्यों में स्थित हैं। सीएसआर कार्यों से समाज को बहुत लाभ पहुँचता है, अतः, सीपीएसई के व्यक्तिगत कार्य से स्थान-वार और उपक्रम-वार लाभार्थियों की सटीक संख्या की गणना और उसका रख-रखाव नहीं किया जा सकता है।

(ग): सीएसआर निधियों का राज्य-वार आवंटन नहीं किया गया है, इस्पात मंत्रालय के अधीन सीपीएसई द्वारा सीएसआर परियोजनाएं मुख्य रूप से इस्पात संयंत्रों, इस्पात टाउनशिपों और खानों की परिधि में परिचालित की जाती हैं, जहाँ मुख्यतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं।

(घ) और (ङ): उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

****